राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1666/2025

राजू लाल चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. हेमेन्द्र कुमार चावला, पशुधन सहायक, पशु चिकित्सालय, मेहन्दवास, जिला टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.01.2025
आदेश की दिनांक : 05.03.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री भरत यादव, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर पशु चिकित्सालय, मेहन्दवास, जिला टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पशु चिकित्सालय, बन्थली, दूनी, टोंक किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण लगभग एक वर्ष की अल्पावधि में पिछली तिथियों में आलौच्य आदेश जारी किया है, जबकि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.01.2023 एवं 03.01.2024 के अनुसार स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध है। स्थानान्तरण आदेश उक्त आदेशों के उल्लंघन में जारी किया गया है (अनुलग्नक–2 एवं 3)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पशु चिकित्सालय, बन्थली, दूनी, टोंक से पशु चिकित्सालय, मेहन्दवास, जिला टोंक में निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को समायोजित करने के लिए किया गया है और पुनः दिनांक 15.01.2024 के आदेश में गलत तारीख होने के कारण अपीलार्थी को अल्पावधि में पुनः स्थानांतरित कर दिया गया। अपीलार्थी के पिता को ह्रदय संबंधी गंभीर बीमारी है, जिसमें उनका ह्रदय केवल 25 प्रतिशत काम कर रहा है, जिसके लिए उनका नियमित उपचार चल रहा है और अपीलार्थी ही परिवार में पिता की देखभाल करने वाला इकलौता पुत्र है। चिकित्सा दस्तावेज की प्रति

अनुलग्नक–5 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.01.2024 द्वारा बिना सोचे–समझे स्थानांरित कर दिया गया, जिसमें आदेश पिछले वर्ष में जारी किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2024 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2024 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पशु चिकित्सालय, मेहन्दवास, जिला टोंक से पशु चिकित्सालय, बन्थली, दूनी, टोंक किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलौच्य आदेश में दिनांक 15.01.2024 अंकित है, जबकि आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को जारी किया गया था, जो बिना मस्तिक का प्रयोग किए जारी किया गया है। हम पाते है कि आलौच्य आदेश में दिनांक 15.01.2024 एक मात्र लिपीकीय टंकण त्रुटि है एवं अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में निजी प्रत्यर्थी से समंजन किया गया हो यह तथ्य पत्रावली पर स्पष्ट नहीं होता है। अपीलार्थी का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा समुचित समयावधि पश्चात स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण टोंक जिले में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं कब और कहां लेवे। अपीलार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

आलौच्य आदेश में कोई दुर्भावना निहित होना या नियम विरूद्धता होना नहीं पाये जाने के कारण अपील अपीलार्थी इसी प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य